

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

गंगावाड़ी

बनाम

कलराज

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 205/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गंगावाड़ी कलराज</u></p> <p><del>पत्नी</del> श्री <u>भगवान मोई</u></p> <p>निवासी- <u>मोई खेडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....</p> <p><u>विपालिया खुर्द (पण्ड. सोनगा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>27/288</u></p> <p><u>28/332</u>, <u>30/289</u>, <u>30/305</u></p> <p><u>0.3300</u>, <u>0.1800</u>, <u>0.2200</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> कुल रकबा <u>1.1800</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>विपालिया खुर्द (पण्ड. सोनगा तह. वस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>27/288</u>, <u>28/332</u>, <u>30/289</u>, <u>30/305</u></p> <p><u>0.4500</u>, <u>0.3300</u>, <u>0.1800</u>, <u>0.2200</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> रकबा <u>1.1800</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000.00</u> रुपये अक्षर <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>(रामचन्द्र खट्टी)</b>            सहायक कलेक्टर एवं            उपखण्ड अधिकारी            चित्तौड़गढ़         </p>